रजिस्ट्री सं॰ डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 194] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 1977/वैशाख 21, 1899

No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 1977 VAISAKHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 11th May 1977

S.O. 324(E).—The following Order made by the Vice-President acting as President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Mizoram and after considering the report, I am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Mizoram cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act"),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of seven months from the date of this order, in relation to the said Union territory of Mizoram, the operation of the following provisions of the Act, namely,—

section 6,

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

section 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive), section 22 and section 24,

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;

section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36,

sections 44 and 45;

sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 46; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers, and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Mizoram in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely—

(i) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 23, 27, 28, 30 and 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in sections 23, 27 to 31 (both inclusive), 48 and 49 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament,

(ii) in relation to the said Union territory, the reference to the Legislative Assembly of a Union territory in section 26 shall be construed as including a reference to Parliament

New Delhi,
The 11th May, 1977.

B D JATTI,
Vice-President acting as President.

[No U-11012/7/77-UTL]

K R PRABHU, Addl Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1977

का० आ० 324(अ).—राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

आदेश

यत, मुझे, भारत के राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति बसप्पा दानप्पा जत्ती को, मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमे मिजोरम सघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन, सघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमे इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नही चलाया जा सकता;

अत, अब, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस आदेश द्वारा—

(क) अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों का प्रवर्तन, उक्त मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में इस आदेश की तारीख से सात मास की अवधि के लिए निलम्बित करता हूं, अर्थात —

धारा 6,

धारा 7 में, उपधारा (1), (3) और (4), उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) और उस उपधारा का प्रथम परन्तुक, और उपधारा (5) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है;

धारा 8 से 12 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित है), धारा 15 से 17 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित है), धारा 22 और धारा 24;

धारा 27 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और उसी धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ग) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है,

धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है,

धारा 33, धारा 34 की उपधारा (2) और धारा 36;

धारा 44 और 45,

धारा 46 की, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, निम्नलिखित उपबंध, अर्थात् "या अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा लिया गया"; और

धारा 50 का उतना भाग जो मंत्रिमंडल से संबंधित है,

(ख) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाता हूं जो मुझे पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते है, अर्थात् —

(i) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 23, 27, 28, 30 और 49 में प्रशासक के प्रति किसी निर्देश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और धारा 23, 27 से 31 (जिनमे दोनो धारा सम्मिलित है), 48 और 49 में किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा के प्रति किन्हीं शब्दों में निर्देश का जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों का और शक्तियों से है, अर्थ, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा;

(ii) उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, धारा 26 में किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत संसद् के प्रति निर्देश भी है।

नई दिल्ली,
11 मई, 1977

ब० द० जत्ती,
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति।

[सं० यू०-11012 7 77-यू० टी० एल०]

के० आर० प्रभु,
अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977